

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रामपुर में रामपुर-केमरी मार्ग (ओडीआर नं० 20), किमी० 13, चैनेज 13.352 की बांयी पटरी पर खसरा/गाटा सं० 750, ग्राम जनुनागर, तहसील मिलक में पेट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अर्थात् वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 की धारा-2 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

दिनांक -

स्थान - रामपुर।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
डा० रामपुरा
रामपुर